

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत न्यायालय उपरत मुकाम बिचारी राजकुमार

सरकार बनाम सरकार के

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 136 CR नं. 20 सन 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
------------	---------------------------------	---

5/3/20

प्रा.पत्र 136 CR नं. 20 तदधीनकार राजकुमार की ओर से बरत मांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीको को जाफि नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 6/3/2020 को पेश हो

6/3/20

पत्रावली पेश हुयी। पैरोकार सरकार द्वारा अप्रार्थीगण प्रकाश, शिवसिंह व बिमरिया हाजिर। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में बर्त कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बसईधीयाराम में आरानी ख.न. 5617 रकबा 2-18 बीघा दर्ज रिकार्ड है तथा नाहिला ग्राम में भी ख.न. 5617 रकबा 1-17 बीघा दर्ज रिकार्ड है दोनों राजस्व ग्रामों में ख. न. के अलग-अलग काश्तकार खातेदार दर्ज रिकार्ड है ख.न. 5617 रकबा 2-18 ग्राम बसईधीयाराम के बिमरिया केवा हि. 1/3 व दत्रपाल शिवसिंह हि. बरा. 1/6 पि. दुण्डा शान्ती केवा व प्रकाश पुत्र व गुइजी पुष्पा पुत्रीयान पि. की दू हि. बरा. 1/2 कर्म जायव का. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है व खसरा नं. 5617 रकबा 1-17 ग्राम नाहिला में गौकिन्दा मधुरी पि. ब्रह्मवर्ण हि. बरा. 2/3 गीता देवी केवा सावन सिंह हि. बरा. 1/1

प्रकाश

शिवसिंह



एक ही खसरा नम्बर दे दिया। जबकि दोनो खसरा नम्बर अलग-अलग हैं उनके खातेवाले भी अलग थे तथा अपने-अपने हिस्से। खसरे अनुसार जाकिज है कि मिशन बन्दोबस्त के मिलान क्षेत्रफल देखने पर यह जानकारी में आया कि ख.स. 5617 रकबा 1-17 बीघा पूर्व ख.स. 4607 रकबा 2-05 बीघा दो ग्राम नाहिला में बना है व ग्राम बसईपीयाणम का खसरा न. 5617 रकबा 2-18 बीघा पूर्व खसरा न. 4606 रकबा 3-11 बीघा से बना है। बन्दोबस्त से पूर्व तरसीमी नक्शा का अवलोकन किया गया जिसमें ख.स. 5616 व 5617 पूर्व खसरा न. 4605 व 4606 से बने हैं लेकिन तरसीमी नक्शों में पूर्व ख.स. 4605 व 4606 की जाईन हटाकर एक ही ख.स. 5616 डाल दिया गया है। जबकि मौफा व तरसीमी नक्शा व मिलानक्षेत्रफल के अनुसार एक ही ख.स. 5616 की आकृति में ही 5617 रकबा रूपाया हुआ है अतः ख.स. 5617 रकबा 1-17 बीघा दोके ग्राम नाहिला व आरामी ख.स. 5617 रकबा 2-18 बीघा दोके ग्राम बसईपीयाणम को 5617/1 व 5617/2 नवीन खसरा नम्बर प्रस्ताव अनुसार बनाने हेतु निर्दिष्ट किया। इनने रिलीफ फावली का अवलोकन किया। अप्राथमिकियों प्रकाश, शिवासेहं व सिमरीया द्वारा भी तदर्थीपक्ष वजाकेश के प्रस्तावानुसार सुधरे किने जाने हेतु सहमति जताई गयी।

अतः प्राथमिक पत्र 136 CR Act स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तदर्थीपक्ष

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 15)

जज अदालत _____ मुकाम _____

_____ बनाम _____

किस्म मुकदमा _____ नं. _____ सन् _____

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
	<p>राजाखेड़ा के प्रस्तावानुसार रक. नं. 5617 रकबा 1-17 बीघा बाके ग्राम नाहिला के स्थान पर रक. नं. 5617/1 रकबा 1-17 बीघा व आरानी रक. नं. 5617 रकबा 2-18 बीघा बाके ग्राम बसईविधायक को विलोपित करते हुए आ. नं. 5617/2 रकबा 2-18 बीघा राजस्व रिजर्व में शुद्ध किया जाके तथा रक. नं. 5616 नक्शा अक्का में बड़ा रकबा ही उसमें 5616 रकबा 1-13 बीघा व 5617/2 रकबा 2-18 बीघा नक्शा अक्का में शुद्ध किया जाके तदखीलकार राजाखेड़ा की उक्तानुसार पालना करने हेतु परवाना जारी हो। नक्शा ट्रेस निर्णय पर हिस्सा रहेगा। हुकम सुनाया गया। पत्रावली के तहत सुनाव केन्द्र दाखिल कम्प्लेट हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)